# न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या —100/2022 (अपील)

GCMS No.- 2022/471

1. रामनारायण सुमन पुत्र र0 रामसुख सुमन
2. श्रीमति मानकंवर पत्नि श्री रामनारायण सुमन जाति माली निवासीगण मका नं0 385 महावीर दूध डेयरी की गली, बालाकुण्ड, कोटा राज0

—अपीलाण्ट.

वनाम

राजेन्द्र सैनी पुत्र रामनारायण सुमन निवासी कैलाश किराना स्टोर के सामने वाली गली, बालाकुण्ड कोटा

—रेस्पोडेन्ट.

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 11.10.2022
भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम

उपस्थितः—

1. श्री प्यारेलाल आर्य, अभिषक रेस्पो0

## *निर्णय*

दिनांक—19.03.2024

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल कोर्ट न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 11.10.2022 आदेश दिया है कि—" प्रार्थी पेंशनर है । अतः भरण पोषण करने में सक्षम है । अतः प्रार्थीपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत भरण पोषण अधिनियम आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी के साथ मारपीट नहीं करें शांतिपूर्वक निवास करने दे । मारपीट की स्थिति में प्रार्थी संबंधित थानाधिकारी को सूचित करें । थानाधिकारी शिकायत प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही करें ।"
2. उक्त आदेश दिनांक 11.10.2022 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15.12.2022 को प्रस्तुत की गई । अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । रेस्पो0 की ओर से अभिभाषक श्री प्यारेलाल आर्य का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ । अपीलान्ट एवं वकील अपीलांट दौराने बहस उपस्थित नहीं हुए । आवांजे लगवाई गई, इसके बाद भी कोई उपस्थित नहीं होने से अपील मेमों ही अपीलांट की बहस मानते हुए गुणावगुण पर निर्णय हेतु वकील रेस्पोडेन्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।
3. वकील अपीलांट ने अपील मेमों में प्रार्थना की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय भारी भूल की है और इस बात पर गौर नहीं फरमाया कि प्रार्थीगण 77 व 72 वर्षीय सीनियर सिटीजन व्यक्ति है जो कि अप्रार्थी द्वारा किये गये व्यवहार व उसके साथ मारपीट से परेशान होकर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुये और उन्होने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट को अपनी दुकानों से बेदखल करने बाबत प्रस्तुत किया था। रेस्पोडेन्ट झगडालु प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसने अपीलान्ट को अत्यधिक परेशान कर रखा है अपीलान्ट की दो दुकानों पर जबरन कब्जा कर रखा है और तीसरी दुकान पर कब्जा करने पर आमादा है । अपीलान्ट ने मकान पर निमार्ण करवाकर उसमें दुकाने बनायी थी, जिसको किराये पर देने से अपीलान्ट को आमदनी हो सकें । लेकिन रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट की दो

जिला कलेक्टर
कोटा

दुकानों पर जबरन कब्जा कर रखा है और तीसरी दुकान पर कब्जा करने पर आमादा है । रेस्पोडेन्ट ने उक्त दुकानों का बिजली का बिल भी नहीं चुकाया है तथा एक शराबी किस्म का व्यक्ति है जो आये दिन अपीलान्ट से लडाई झगडा एवं मारपीट करता है दिनांक 10.2.2022 को भी रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के साथ बुरी तरीके से मारपीट की जिससे मानकंवर के कमर में फ्रेक्चर हो गया जिसके कारण चलने फिरने में समस्या का सामना करना पड रहा है जिसकी रिपोर्ट भी अपीलान्ट ने पुलिस थाना दादाबाडी में करवायी थी जिसके पश्चात भी दिनांक 10.7.2022 को रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को जान से मारने की धमकी दी । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट की दोनों दुकानों से बेदखल कर दुकानों का कब्जा अपीलान्ट को संभलाया जावें तथा रेस्पोडेन्ट को इस बारे में भी आदेशित किया जावे कि वह अपीलान्ट की कब्जेवाली तीसरी दुकान पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करें और अपीलान्ट को उक्त दुकान में किरायेदार रखने से नहीं रोकें । लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा अंकित किये गये तथ्यों पर गौर नहीं फरमाकर मात्र अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट को पाबंद कर भारी त्रुटि की है । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.10.2022 अपास्त किये जाने योग्य है । अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट की दोनों दुकानों से बेदखल करने के आदेश प्रदान करें ।

4. हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 11.10.2022 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 15.12.2022 को पेश की गई है, जबकि अपील प्रस्तुत करने की मियाद अवधि 60 दिवस बाद पेश की है, जो मियाद बाहर है, इसके लिए अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के लिए कोई प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है, ओर अपील में भी विलम्ब के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है । अपील मियाद बाहर है । अपीलांट द्वारा अपील मेमों में केवल रेस्पोडेन्ट को उनके मकान में बनी हुई दोनों दुकानों से बेदखल करने की प्रार्थना की है, किन्तु मकान व दुकानों के मालिकाना हक के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है, ऐसी स्थिति में केवल अपील में लिखने मात्र से अपील में की गई प्रार्थना स्वीकार योग्य नहीं है ।

5. अतः अपीलांट द्वारा अपील में चाहा गया अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं होने तथा अपील मियाद बाहर होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.10.2022 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है ।

6. निर्णय आज दिनांक 19.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा